राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(बजट अनुभाग)

क्रमांक प.3(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2004 पार्ट I   दिनांक : 23 मार्च, 2020

समस्त विभागाध्यक्ष
(जिला कलक्टर सहित)

विषयः– कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित लोगों को सहायता प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित लोगों की सहायतार्थ मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा कराने हेतु राज्य के लोक लेखों में निम्नांकित बजट मद खोला गया है:–

8448–स्थानीय निधियों की जमा
120–अन्य निधियां
(07)– राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष
[10]– कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित लोगों की सहायतार्थ

कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित लोगों की सहायतार्थ दी जाने वाली राशि उपर्युक्त बजट मद में चालान के माध्यम से जमा कराई जा सकती है।

राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अपने वेतन से कटौति करवाकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा कराने हेतु अपने आहरण वितरण अधिकारी को इस आशय का अनुरोध किये जाने पर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु वेतन से कटौति की गई राशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पृथक से कटौती विवरण पत्र सलंग्न किया जायेगा। संबंधित कोषागार द्वारा उक्त मद में जमा की गई राशि को संकलित किया जाकर उसी माह में सचिवालय कोष को स्थानान्तरित किया जावेगा।

संकलित राशि की सूचना कोषाधिकारियों द्वारा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान,जयपुर को भिजवाई जायेगी।

भवदीय,
23/3
(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

(कृ.प.उ.)

क्रमांक प.3(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2004 पार्ट I

दिनांक : 23 मार्च, 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. निजि सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उप शासन सचिव, राजकीय उपक्रम ब्यूरो (सार्वजनिक उपक्रम) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग।
8. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।

निदेशक, वित्त (बजट)